Rule 110: Appeal to the Appellate Tribunal

- (1) An appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 112 shall be filed along with the relevant documents either electronically or otherwise as may be notified by the Registrar, in **FORM GST APL-05**, on the common portal and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.
- (2) A memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under subsection (5) of section 112 shall be filed either electronically or otherwise as may be notified by the Registrar, in FORM GST APL-06.
- (3) The appeal and the memorandum of cross objections shall be signed in the manner specified in rule 26.
- (4) A certified copy of the decision or order appealed against along with fees as specified in sub-rule (5) shall be submitted to the Registrar within seven days of filing of the appeal under sub-rule (1) and a final acknowledgement, indicating the appeal number shall be issued thereafter in FORM GST APL-02 by the Registrar:

Provided that where the certified copy of the decision or order is submitted within seven days from the date of filing the **FORM GST APL-05**, the date of filing of the appeal shall be the date of the issue of the provisional acknowledgement and where the said copy is submitted after seven days, the date of filing of the appeal shall be the date of submission of such copy.

Explanation-For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement indicating the appeal number is issued.

- (5) The fees for filing of appeal or restoration of appeal shall be one thousand rupees for every one lakh rupees of tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined in the order appealed against, subject to maximum of twenty five thousand rupees.
- (6) There shall be no fee for application made before the Appellate Tribunal for rectification of errors referred to in sub-section (10) of section 112.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 110 : अपील अधिकरण को अपील

- (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल—05 में सुसंगत दस्तावेज के साथ अपील अधिकरण को अपील इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (2) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल—06 में अपील अधिकरण को तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा।
- (3) अपील और तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (4) प्ररूप जीएसटी एपीएल—5 में अपील की हार्डकॉपी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में जारी किया जाएगा:

परन्तु जहां अपील की हार्डकॉपी और दस्तावेज प्ररूप जीएसटी एपीएल—05 को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकॉपी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील को तभी फाइल किया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

- (5) अपील फाइल करने या अपील प्रत्यावर्तन करने की फीस प्रत्येक एक लाख रूपए के कर या अन्तर्विलत इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्विलत कर या इनपुट कर प्रत्यय के अन्तर अथवा अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए अधिकतम पच्चीस हजार रूपए के अध्याधीन, एक हजार रूपए होगी।
- (6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी।